न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 35/2022

1 रामप्यारी पत्नी स्व. मदन
2 ओमप्रकाश पुत्र स्व. मदन
3 रमेश पुत्र स्व. मदन
4 कैलाश पुत्र स्व. मदन
समस्त जाति मीणा निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 घीसाराम मीणा पुत्र सांवताराम मीणा
2 गुलाबी देवी पत्नी प्रहलाद
3 सुभाष पुत्र प्रहलाद
4 दलीप पुत्र प्रहलाद
समस्त जाति मीणा निवासीगण बडाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।
5 गोरधन पुत्र डोलाराम
6 पवन कुमार पुत्र गोरधन
7 राहुल पुत्र गोरधन
8 नवरतन पुत्र गोरधन
समस्त जाति मीणा निवासीगण बडाऊ हाल मान्दरी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।
9 गुड्डी पुत्री प्रहलाद पत्नी मातादीन जाति मीणा निवासी बड़ाऊ हाल आबाद मान्दरी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।
10 सुनिता पुत्री प्रहलाद जाति मीणा निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (राजस्थान)

11 मोपनी कंवर पत्नी स्व. उदयसिंह जाति राजपूत निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू हाल लालासर तहसील डूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
12 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 14.03.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी बमुकदमा उनवानी मदन बनाम घीसाराम वगैरह मु.नं. 101/2019 आवेदन पत्र आदेश 9 नियम 13 जा.दी. बाबत निरस्त करने प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 10.10.2014 व निरस्त करने निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 09.01.2015 उनवानी घीसाराम मीणा बनाम मदन मु.नं. 07/2013 दावा बाबत घोषणात्मक एवं खाता विभाजन

उपस्थिति :

1. श्री राजेश बागोरिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

—निर्णय—

दिनांकः— 3.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 101/2019 में पारित प्राथमिक डिक्री 10.10.2014 व अंतिम डिक्री दिनांक 09.01.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद घोषणात्मक एवं खाता विभाजन बाबत भूमि खसरा नम्बर 656, 660, वाके ग्राम बड़ाऊ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट संख्या 1 के पति व अपीलान्टस संख्या 2 लगायत 4 के पिता स्व. मदन विचारण न्यायालय के समक्ष लम्बित वाद संख्या 7/2013 उनवानी घीसाराम बनाम मदन वगेरह में बतौर पक्षकार प्रतिवादी संख्या 1 था तथा जिसकी दौराने सुनवाई वाद दिनांक 24.09.2014 को मृत्यु हो चुकी थी जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 घीसाराम को शुरू से ही थी। क्योंकि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 घीसाराम उनके परिवार का सदस्य था उसने जानबूझकर स्व. मदन की मृत्यु दिनांक 24.09.2014 को होने के बावजूद भी न्यायालय को सूचित नहीं कियां मृत व्यक्ति के विरूद्ध दिनांक 10.10.2014 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री एवं दिनांक 09.01.2015 को अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करवा ली, जो रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने न्यायालय को मुगालते में रखते हुए पारित करवाई है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने दिनांक 09.01.2015 को वाद का अन्तिम रूप से निर्णय व डिक्री होने के बाद राजस्व रिकार्ड में विचारण न्यायालय के निर्णय के अनुसार पालना करवा ली है जो वर्तमान में इस प्रकार खसरा नम्बर है खसरा नम्बर 2328/1012 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2329/1012

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2599/738 रकबा 0.84 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2600/738 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2602/1006 रकबा 0.68 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2601/738 रकबा 0.84 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2603/1006 रकबा 0.70 हैक्टेयर कुल रकबा 3.13 हैक्टेयर में से 1.54 हैक्टेयर भूमि अपने नाम करा ली है। जब विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 10.10.2014 के अनुसार तहसीलदार खेतड़ी को कमिश्नर नियुक्त किया गया था तब तहसीलदार खेतड़ी को आदेश दिया गया था कि पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं मौके पर कब्जे काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों से सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2004 को मध्यनजर रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पक्षकारान को सूचित कर दिनांक 31.10.2014 से पूर्व भिजवायें। दिनांक 24.09.2014 को ही अपीलान्टस के पूर्वज मदन की मृत्यु हो चुकी थी तो तहसीलदार खेतड़ी मौके पर जाता तो उसकी मृत्यु की बाबत जानकारी अवश्य होती इसलिए तहसीलदार खेतड़ी द्वारा मौके पर जाकर कोई विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर मौके के कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं करवाकर अपनी सुविधा अनुसार तैयार करवाया है इस विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपीलान्टस को कोई जानकारी नही थी न ही उनकी ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत हुई, न ही उनको सुनवाई का कोई अधिकार मिला। विचारण न्यायालय ने मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित की है। विभाजन प्रस्ताव के अनुसार रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने अपने सम्पूर्ण हिस्से की भूमि मुख्य सड़क पर प्राप्त की है। इस प्रकार जो विभाजन प्रस्ताव न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ है वह मौके एवं कब्जे काश्त के अनुसार प्रस्तुत नहीं हुआ है। भूमि खसरा नम्बर 738 में संयुक्त रूप से स्व. मदन व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 घीसाराम ने बोरवेल करवाई थी जिसका विद्युत बिल भी संयुक्त रूप से आता है उक्त बोरवेल एवं उसके आस पास की कृषि भूमि 0.02 हैक्टेयर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने अपने नाम करवा ली है जो उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 उक्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(कैम्प झुन्झुनूँ)

5

निर्णय व डिक्री की आड़ में नवल निर्माण करवाना चाहता है। विचारण न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2004 की पालना नहीं की गई है इसलिए भी विचारण न्यायालय के प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 10.10.2014 एंव अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 09.01.2015 निरस्त होने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे 2013(3) राज. पेज 987 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट के पिता व पति मदन की जरिये वकालतन उपस्थिति रही है। विचारण न्यायालय में मदन के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। विचारण न्यायालय में मदन की मृत्यु की सूचना रिकार्ड पर नहीं दी गई हैं। विधि अनुसार आदेश 09 नियम 13 के प्रावधान एकपक्षीय कार्यवाही अपास्त करवाने के लिए होते है। प्रस्तुत प्रकरण में आदेश 09 नियम 13 के प्रावधान लागु नहीं होने के कारण विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट के पिता व पति मदन की जरिये वकालतन उपस्थिति रही है। विचारण न्यायालय में मदन के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। विचारण न्यायालय में मदन की मृत्यु की सूचना रिकार्ड पर नहीं दी गई हैं। विधि अनुसार आदेश 09 नियम 13 के प्रावधान एकपक्षीय कार्यवाही अपास्त करवाने के लिए होते है। प्रस्तुत प्रकरण में आदेश 09 नियम 13 के प्रावधान लागु नहीं होने के कारण विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अपीलांट विधि अनुसार मूल निर्णय व डिक्री की अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 3.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)